**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या : 1861**
**गुरुवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

## विमान किराए का विनियमन

**1861. श्री बिष्णु पद राय:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य से श्री विजयापुरम-मुख्यभूमि सेक्टरों पर अत्यधिक विमान किराए को विनियमित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विशेष रूप से पीक यात्रा सत्रों और आपात स्थितियों के दौरान इन सेक्टरों पर अत्यधिक विमान किराए को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार के पास अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के निवासियों के लिए किफायती विमान सेवा सुनिश्चित करने हेतु किराया विनियमन, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, अतिरिक्त विमान सेवाओं या वित्तीय सहायता सहित कोई तंत्र शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क): जी हां। अंडमान और निकोबार (श्री विजयपुरम) से मेनलैंड सेक्टरों के लिए अत्यधिक हवाई किराए और इस मामले में सरकार के हस्तक्षेप की मांग के संबंध में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय संसद सदस्य से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ): मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ ही, हवाई किराया सरकार द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है।

विमानन कंपनियों को किसी विशेष मार्ग पर अपनी परिचालन और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर, वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए हवाई किराया निर्धारित करने की स्वायत्तता है।

हवाई किराए का मूल्य निर्धारण आपूर्ति और मांग की मौलिक आर्थिक शक्तियों से प्रभावित गतिशील उतार-चढ़ाव के अधीन है। विभिन्न निर्धारक जैसे कि वर्तमान सीट अधिभोग,

ईंधन लागत, विमान क्षमता, मौसमी उतार-चढ़ाव और अन्य प्रासंगिक कारक एयरलाइन टिकट मूल्य निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

बाजार प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए सरकार आमतौर पर हवाई किराए को विनियमित करने से परहेज करती है, तथापि, यह सतर्क निगरानीकर्ता की भूमिका में रहती है और विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता का पुनर्वितरण और अस्थायी किराया सीमा जैसे उपायों को अपनाकर जैसे कोविड़ महामारी, महाकुंभ जैसे त्योहार और अन्य असाधारण परिस्थितियों जैसे पहलगाम की घटना और इंडिगो उड़ान में व्यवधानों के दौरान, हस्तक्षेप करती है।

एक गैर-विनियमित विमानन बाजार में एयरलाइनें किसी भी विमान टाइप के साथ क्षमता को शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं, सेवा प्रदान करने हेतु किसी भी बाजार एवं नेटवर्क का चयन करने और सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों (आरडीजी) के अनुपालन, संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा आवंटित स्लॉट के अनुरूप और आगे नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से अनुमोदन के साथ परिचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

******